कार्यवृत्त

बुधवार, 13 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1941

(दिनांक : 04 दिसम्बर, 2019)

खण्ड–55

अंक–1

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत ''वन्दे मातरम्'' के साथ आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि मा0 सदस्य कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' जो विधान सभा क्षेत्र खानपुर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्वाचित हुए, उनके सम्बन्ध में मुझे श्री अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का पत्र दिनांक 03.12.2019 को प्राप्त हुआ। इसी सम्बन्ध में मुझे श्री मदन कौशिक जी, प्राधिकृत संसदीय एवं विधायी कार्य मंत्री जी का दिनांक 04.12.2019 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्रों द्वारा माननीय विधायक, कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' को पार्टी से निष्कासित कर दिए जाने की सूचनाएं दी गई हैं। उक्त पत्रों में माननीय सदस्य के सभा–मण्डप में पृथक से बैठने की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध किया गया है। अतः मैं उक्त पत्रों का संज्ञान लेते हुए माननीय सदस्य, कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' के सन्दर्भ में विनिश्चय देता हूँ कि वह सदन में भाजपा से पृथक स्थान पर बैठेंगे।

श्री अध्यक्ष ने नव निर्वाचित मा0 सदस्य श्रीमती चन्द्रा पन्त का सदन में स्वागत किया।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य नियम–310 के अन्तर्गत आर्थिक मंदी से प्रदेश में बढ़ती महंगाई से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिए जाने की मांग करते हुए जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा।

विपक्ष के मा0 सदस्य अपनी–अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गए।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल चलने दीजिए। नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस पर मा0 सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गए और उत्तर दिए गए।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि अत्यन्त हर्ष का विषय है कि पिछले कई उपवेशनों की भांति ही आज के उपवेशन की कार्यसूची में अंकित सभी प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकाल समय अवधि के अन्तर्गत दिए गए हैं। मैं माननीय सदन के सभी पक्ष एवं विपक्ष के सभी सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके सहयोग से प्रश्नकाल में गम्भीर विचार–विमर्श हुआ और जनहित के विषय माननीय सदन में उठाए गए। मैं आशा करता हूँ कि प्रश्नकाल में आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद!

श्री प्रीतम सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मा0 सदस्य जो प्रश्न उठाते हैं उनके जवाब कार्यसूची के साथ मिलने चाहिए, इसके अतिरिक्त बिना औचित्य के विस्तीर्णता के आधार पर प्रश्न निरस्त हो जाते हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के अध्याय–7 के अनुसार ही प्रश्नों से सम्बन्धित कार्य का निर्धारण होता है।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि यह विषय विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में परम्परानुसार सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। इस विषय पर वे किसी भी समय उनके कक्ष में आकर वार्ता कर लें, तद्नुसार इसका समाधान कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वे इनमें से 07 सूचनाएं स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लाई गई।

1.	श्री शक्ति लाल शाह	विधान सभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील बालगंगा के पट्टी आरगढ़ व गोनगढ़ की पेयजल योजना के सम्बन्ध में। **(मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)**
2	श्री नवीन चन्द्र दुम्का	विधान सभा क्षेत्र लालकुआं के ग्राम हरिपुर, बच्ची, राधा बंगर आदि ग्रामों में जंगली जानवरों के कारण फसलों का नुकसान होने से मुआवजा राशि किसानों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
3 .	विशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के भातड़ से कुकरोली मसमोली तक सड़क का डामरीकरण न होने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
4	श्री आदेश चौहान	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर (बी0एच0ई0एल0) के अन्तर्गत शिवालिक नगर व ग्राम आन्ने की सीमा पर स्थित बरसाती नाले से अतिक्रमण हटाने व जलभराव की समस्या का समाधान किए जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
5	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत शीशमबाड़ा में स्थित ट्रेंचिंग ग्राउण्ड अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री चन्दन राम दास	प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय शिविर के सम्बन्ध म **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
7	श्रीमती मीना गंगोला	राजकीय इन्टर कालेज बनकोट में मिनी स्टेडियम का निर्माण न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को सदन के पटल पर रखा

पर्यटन मंत्री ने उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (संशोधन), अध्यादेश, 2019 को सदन के पटल पर रखा।

पंचायती राज मंत्री ने उत्तराखण्ड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन), अध्यादेश, 2019 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं), अध्यादेश, 2019 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 की उपधारा (1) के उपबन्ध के अधीन अधिसूचित कठिनाई निवारण आदेश संख्या 188, दिनांक 28 फरवरी, 2019 आदेश सं0–189, दिनांक 28 फरवरी, 2019, आदेश सं0–282, दिनांक 09 अप्रैल, 2019, आदेश सं0–428, दिनांक 31 मई, 2019 एवं आदेश संख्या 432, दिनांक 31 मई, 2019 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम, 2003 की धारा–9 (2) के अन्तर्गत आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, (अवधि 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–105 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013 से वर्ष 2018) को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :–

(1) उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 26 जून, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 जुलाई, 2019 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का दसवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 25 जून, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम प्रेमराजपुर, पो0 भगवानपुर में अम्बेडकर पार्क की चाहरदिवारी एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में'' श्री अर्जुन पुत्र श्री रामपाल ग्राम राजपुर, पो0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम अमरपुर, पोस्ट ईकबालपुर में श्मशान घाट की चाहरदीवारी कराए जाने के सम्बन्ध में" श्री राकेश पुत्र श्री सुल्तान सिंह, ग्राम–अमरपुर, पो0–ईकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बालेकी, पो0 नन्हेडा में प्राथमिक विद्यालय के विनिर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में'' श्री जब्बर पुत्र श्री सरफुद्दीन ग्राम बालेकी, यूसूफफुर, पो0 नन्हेडा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्बा मसूरी फल पट्‌टी के कास्तकारों को आवंटित पट्‌टों के नियमितीकरण किए जाने के सम्बन्ध में'' श्री चरण सिंह कण्डारी ग्राम व पो0 मजगांव सकलाना, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी झील में कैचमेन्ट एरिया में भूमि संरक्षण एवं संवर्धन के लिए टी0एच0डी0सी0 द्वारा लम्बे समय से वचनबद्ध धनराशि न दिए जाने के सम्बन्ध में'' श्री अमर सिंह, ग्राम चोपड़ा, पो0 पातिनियादेवी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''राजकीय पी0जी0 कालेज नई टिहरी को भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में'' श्री विक्रम सिंह कठैत, निवासी जी–ब्लाक, नई टिहरी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के पदमपुर ग्राम सभा के गलपा, पातल, तोला, द्योतोड़ा, बसानीधूरा, पदमपुर, मीडार सहित ओखलकाण्डा, धारी, रामगढ़ एवं भीमताल ब्लाकों के कई जगहों में पेयजल समस्या को दूर किए जाने के सम्बन्ध में'' श्री जीवन जोशी पुत्र श्री ईश्वरी दत्त जोशी, ग्राम सभा पदमपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के पदमपुर ग्राम सभा के गलपा, पातल, तोला, द्योतोड़ा, बसानीधूरा, पदमपुर, मीडार सहित ओखलकाण्डा, धारी, रामगढ़ एवं भीमताल ब्लाक के विद्युत लाईन की केबल व पोल जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उन्हें बदले जाने के सम्बन्ध में'' श्री जीवन जोशी पुत्र श्री ईश्वरी दत्त जोशी, ग्राम सभा पदमपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

उद्यान मंत्री ने उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

उद्यान मंत्री ने उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा रामनगर से सल्ट विधान सभा को जाने वाले मार्ग पर जंगली जानवरों के आतंक पर नियंत्रण की उचित कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में दिनांक 26 जून, 2019 को नियम–53 में दी गई सूचना पर कोई कार्यवाही नहीं होने के मामले को उनके द्वारा विशेषाधिकार हनन में उठाए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के अध्याय–11 के नियम–65, 66 एवं 67 के अन्तर्गत उक्त विषय विशेषाधिकार हनन में नहीं आता। श्री अध्यक्ष ने इस पर अपना विनिश्चय सुरक्षित रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन), विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन), विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन), विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन), विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 की बैठक में दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

दिसम्बर, 2019

04 बुधवार	(1)	अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाना।
	(2)	औपचारिक कार्य।
	(3)	विधायी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, से सहमत है। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :–

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ''उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973'' (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 22(XV) व (2) के अन्तर्गत उपबंधित व्यवस्थानुसार विधान सभा के पांच मा0 सदस्यों को यह सदन 'कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल' में विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट) हेतु पदेन सदस्य के रूप में 03 वर्ष की अवधि हेतु नामित करने के लिए मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जाएंगे। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :–

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 'विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016' की धारा 66 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन राज्य द्वारा गठित राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड' में विधान सभा के तीन निर्वाचित मा0 सदस्यों को 'पदेन–सदस्य' नामित किए जाने हेतु यह सदन मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित पदेन–सदस्य समझे जाएंगे। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री करन माहरा, श्री हरीश सिंह, श्रीमती ममता राकेश एवं श्री आदेश सिंह चौहान की कुल 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे सभी 05 सूचनाओं को स्वीकार कर रहे हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में अटल आयुष्मान योजना उत्तराखण्ड के संचालन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

आर्थिक मंदी से प्रदेश में बढ़ती महंगाई से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना पर नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए।

सदन की कार्यवाही 01बजकर 20 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता मे पुनः आरम्भ हुई।

आर्थिक मंदी से प्रदेश में बढ़ती महंगाई से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम–310 से नियम–58 में परिवर्तित सूचना पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किए :–

1. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
2. श्री करन माहरा,
3. श्री हरीश सिंह,
4. श्रीमती ममता राकेश,
5. काजी मौ0 निजामुद्दीन,

6. श्री राजकुमार,
7. श्री आदेश सिंह चौहान,

माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

सूचना से संतुष्ट न होने पर मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य मा0 सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया।

गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधान सभा भवन में इस वर्ष सत्र न किए जाने के सम्बन्ध में श्री करन माहरा तथा नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र धारचूला के धारचूला मुनस्यारी के विभिन्न गांवों में दैवीय आपदा से हुए नुकसान हेतु मुआवजा दिए जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री हरीश सिंह तथा नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किए।

04 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होने पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी सदस्य ''वेल'' में आकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने परीक्षण कराने का आश्वासन दिया, जिसके पश्चात विपक्ष के सभी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा भगवानपुर के अन्तर्गत तहसील भवन निर्माण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के पश्चात श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र जसपुर के अन्तर्गत तोमड़िया डाम के सिंचाई विभाग के अन्तर्गत निवास कर रहे परिवारों को मताधिकार के प्रयोग का अधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किए। माननीय पंचायती राज मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

पंचायती राज मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :–

''यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (ग) के खण्ड (5) के उप खण्ड (ख) में संशोधन किया जाए।'' **प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।**

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 में कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें सेः–

मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश की सूचना जो उत्तराखण्ड में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायक कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने एवं मानदेय बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल की सूचना जो जनपद ऊधमसिंह नगर में राजकीय उद्याान फार्म एवं 31वीं वाहिनी पी0ए0सी0 के मध्य स्थित सड़क सम्पर्क मार्ग पुनः खुलवाने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

सदन की कार्यवाही 05 बजे अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।